

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

आवश्यक सूचना

मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर सामुदायिक केन्द्रों को 10 वर्ष की अवधि के लिये किराये के आधार संचालन हेतु योजनाओं की "रेजिडेन्स वेलफेयर एसोसियेशन्स" को टोकन धनराशि पर लीज/लाईसेंस पर दिये जाने का प्रस्ताव आमन्त्रित है।

मेरठ विकास प्राधिकरण पांडव नगर, एफ, पल्लवपुरम फेस-प्रथम, पॉकेट सी एवं गंगानगर योजना के पॉकेट ओ में तथा अन्य सभी सामुदायिक केन्द्र लीज/लाईसेंस पर दिये जाने हेतु उपलब्ध है।

उपरोक्त योजनान्तर्गत स्थित कालोनियों की "रेजिडेन्स वेलफेयर एसोसियेशन्स" यदि सामुदायिक केन्द्र 'टोकन मनी' पर 10 वर्ष की अवधि हेतु लीज/लाईसेंस पर लेने के इच्छुक है तो नियत दिनांक 04-11-2015 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक विकास प्राधिकरण के सभागार में रखे गये निविदा बॉक्स में अपना निविदा आवेदन तथा अन्य सभी नियम शर्तें, जो प्राधिकरण की वेबसाईट (www.mdameerut.org.in) पर उपलब्ध है, से प्राप्त कर, डाल सकते हैं। एतद्विषयक आवश्यक जानकारी-प्रभारी अधिकारी (गैर आवासीय सम्पत्ति) से किसी भी कार्यालय दिवस में ले सकते हैं।

सचिव।

उपाध्यक्ष।